बरकत अली और अन्य

बनाम

बद्री नारायण (मृतक) जरीये विधिक प्रतिनिधि

(सिविल अपील सं. 1383/2002)

6 फरवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जेजे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एसएस। 11, 47 और Or.21, नियम 22, 23, 24- प्रांग्न्याय, आन्वियक प्रांग्न्यायः वारंट जारी होने के बाद निर्णय देनदार द्वारा दायर आपितियाँ संलग्नक-आयोजितः निष्पादन द्वारा मनोरंजन नहीं किया जा सकता है समान रूप से न्यायालय रचनात्मक प्रतिरोध के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। प्रांग्न्याय-जहाँ एक निर्णय-देनदार के पास धन जुटाने का अवसर होता है एक आपित जिसे वह उठा सकता था लेकिन लेने में विफल रहा और प्रारंभिक चरण को लेने के लिए समास होने दिया संपित की कुर्की का मामला अगले चरण में है और 21 के तहत संपित की बिक्री, आर. 23, निर्णय-इसके बाद ऋणी बाद में ऐसी आपितियां नहीं उठा सकता है और कार्यवाही के पहले चरण में वापस लौटें जब तक कि आदेश न हो प्रारंभिक चरण की समाप्ति के परिणामस्वरूप जो एक डिक्री के बराबर है, उसके खिलाफ अपील की जाती है और आदेश को अलग कर दिया जाता है या संशोधित किया जाता है- रेस प्रांग्न्याय के सिद्धांत न केवल अलग-अलग मामलों के संबंध में लागू होते हैं कार्यवाहियां लेकिन सामान्य सिद्धांत भी लागू होते हैं समान कार्यवाहियों का अगला चरण।

कुर्की का वारंट जारी होने के बाद आपितयाँ निर्णय द्वारा दायर किए गए थे-ऋणी ने दलील दी कि निष्पादन की कार्यवाही समय से बाधित थी। निष्पादन न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि नोटिस जारी करने की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद, सी. पी. सी. के आदेश 21, नियम 22 के तहत सेवा के बावजूद कोई आपित दायर नहीं की गई है और न्यायालय आदेश 21, नियम 23 के तहत संपित को कुर्क करने के लिए निष्पादन के अगले चरण में आगे बढ़ा है और 24 सी. पी. सी. के बाद उठाई गई किसी भी आपित पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया है।

रचनात्मक न्याय आपितयों को खारिज करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या दायर की गई आपितयां, कुर्की का वारंट जारी किया गया था, जारी नहीं किया जा सका। निष्पादन न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया क्योंकि यह रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1. आदेश 21, नियम 22 सीपीसी अंत में समाप्त होता है आदेश 21, नियम 23 के तहत कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब निष्पादन करने वाले न्यायालय को या तो पता चलता है कि आदेश 21, नियम 21 के तहत नोटिस जारी करने के बाद निर्णय-देनदार के पास नहीं है। कोई आपित उठाई गई है या यदि ऐसी आपित उठाई गई है, तो उसका निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा किया गया है। आदेश 21, नियम 22 के तहत उप नियम (1) के साथ-साथ उप नियम (2) एक ही क्षेत्र में एक साथ काम करते हैं। उप नियम (1 यह तब काम करता है जब कोई आपित दर्ज नहीं की जाती है। फिर अदालत ने कार्यवाही के अगले चरण अर्थात् संपित की कुर्की के लिए आगे बढ़ता है और रास्ता साफ करता है और यदि न्यायालय को अभिलेख पर आपितयाँ मिलती हैं तो वह निर्णय लेता है - आपितयों को पहले और बाद में साफ़ किया जाता है संपित की कुर्की का मामला उठाने का तरीका यदि आपितियों को खारिज

कर दिया गया है। क्या आदेश उप नियम (1) या उप नियम (2) के तहत बनाया जाता है, इसका प्रभाव संलग्नक से पहले प्रारंभिक चरण का निर्धारण करने का होता है। प्रक्रिया गति में है। इस पृष्ठभूमि में, का क्रम न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने पर कि कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, कुर्की के साथ आगे बढ़ना भी एक आदेश के रूप में कार्य करता है। निष्पादन के प्रारंभिक चरण का निर्णय लेना कार्यवाही करता है और इस तरह काम करता है जैसे कि निर्णय-देनदार ने फाइल करने में कोई आपित नहीं। यदि इसके बाद, निर्णय-देनदार उसी कार्यवाही में आपत्ति उठाना चाहता है के तहत पारित आदेश के किसी भी संशोधन की अन्पस्थिति आदेश 21, नियम 22 उप नियम (1) या (2), उसे अपील के माध्यम से आदेश से छुटकारा पाने के लिए सहारा लेना पड़ता है। कोई विवाद नहीं है। डिक्री यानी यह कहना कि यह अंतरिम के खिलाफ अपील नहीं है आदेश लेकिन डिक्री के खिलाफ एक अपील जो प्रदान की गई है अंतिम आदेश के खिलाफ। इसका मतलब है कि विभिन्न चरणों में उच्च मंच के समक्ष अपील करें। अन्यथा वे बांधते हैं निष्पादन कार्यवाहियों के बाद के चरण में पक्षकार ताकि निष्पादन की स्चारू प्रगति खतरे में न पड़े और आदेश 21 के विभिन्न आदेशों के अनुसार जो चरण अंतिम रूप में पहंच गया, वह कार्य करता है। कार्यवाहियों के बाद के चरण के लिए न्यायिक विवरण। चूंकि अलग-अलग स्तर पर पारित आदेश ही संचालित होता है एक डिक्री के रूप में और इस तरह से अपील योग्य है, वही नहीं कर सकता है बाद के आदेशों के खिलाफ भी अपील में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि आदेश 21, नियम 22 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील प्रारंभिक चरण में आदेश के खिलाफ अपील के बराबर नहीं है, लेकिन अंत में आदेश का निर्धारण करने वाले डिक्री के बराबर है सवाल करते हैं। यही कारण है कि आदेश 21 के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ आदेश 43 के तहत कोई अपील नहीं की गई है। इस पृष्ठभूमि में, जहां एक निर्णय-देनदार के पास एक है आपत्ति उठाने का अवसर जो उसके पास हो सकता था उठाया गया लेकिन लेने में विफल रहा और संपत्ति की कुर्की और संपत्ति की बिक्री के लिए मामले को अगले चरण में ले जाने के लिए प्रारंभिक चरण को समाप्त करने की अनुमित दी आदेश 21, नियम 23 जो उपरोक्त सिद्धांत के भीतर आता है, निर्णय-देनदार इसके बाद ऐसा नहीं उठा सकता है बाद में आपितयाँ और कार्यवाही के पहले चरण में वापस लौटें जब तक कि प्रारंभिक चरण की समाप्ति के पिरणामस्वरूप आदेश जो एक डिक्री के बराबर है इसके खिलाफ अपील की जाती है और आदेश को दरिकनार या संशोधित किया जाता है। [पैरा 7] [517-ई, एफ; जी; 518-ए-एच; 519-ए, बी]

1.2. न्यायपालिका के सिद्धांत न केवल अलग-अलग कार्यवाही के संबंध में लागू होते हैं, बल्कि सामान्य कार्यवाही के संबंध में भी लागू होते हैं। सिद्धांत उन्हीं कार्यवाहियों के बाद के चरण में भी लागू होते हैं और वही न्यायालय उस प्रश्न में फिर से जाने से वंचित है जिसका निर्णय लिया गया है या माना गया है प्रारंभिक चरण में इसके द्वारा निर्णय लिया गया है। [पैरा 8] [519 - बी, सी]

अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार और अन्य। ए. आई. आर. 1964 एससी 993 और सत्यधन घोषाल और अन्य बनाम श्रीमती. देवराज देवी और अन्न। (एआईआर) 1960 एससी 94-पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1383/2002।

1981 की डी.बी. सिविल विशेष अपील सं. 15 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26.07.2000 से।

अपीलार्थियों के लिए पुनीत जैन, क्रिस्टी जैन, पीयूष जैन, एच.डी. थानवी और सुशील कुमार जैन।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश की अदालत ने अध्यादेश 1949 की धारा 18 (संक्षेप में अध्यादेश) के तहत दायर विशेष अपील एस. बी. सिविल विविध अपील सं. 5/1975 को दिनांक 16.1.1981 को खारिज कर दिया।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी डिक्री धारक बद्रीनारायण के कानूनी प्रतिनिधि हैं और अपीलार्थी हैं। फैसले के प्रतिनिधि-देनदार अब्द्ल गनी ने कहा कि बद्रीनारायण ने अब्द्लगनी के खिलाफ बंधक मुकदमा, जिसमें Rs.11,194.25/की राशि है पर 11.5.1952 को एक आदेश प्राप्त किया जिसमें अंतिम आदेश की तारीख से उक्त अब्द्ल गनी द्वारा देय के रूप में निर्धारित किया गया था। उक्त राशि की वसूली के लिए निष्पादन आवेदन पेश किया गया। निष्पादन हेत् पहला आवेदन 7.10.1952 पर दायर किया गया था जिसकी कार्यवाही में डिक्री आंशिक रूप से संतुष्ट हुई थी और कार्यवाही 21.12.1956 पर समास हुई। दूसरे निष्पादन के परिणामस्वरूप आंशिक संतुष्टि हुई और निष्पादन 25.9.1957 पर समाप्त हो गया। 20 मई 1958 को दायर किए गए तीसरे निष्पादन आवेदन के परिणामस्वरूप आगे डिक्री और उक्त कार्यवाहियों की आंशिक संतुष्टि 6.8.1960 पर समाप्त हुआ। शेष राशि की वसूली के लिए वर्तमान निष्पादन आवेदन 30 जनवरी, 1971 को दायर किया गया था। आवेदन का नोटिस सभी अपीलार्थियों और एक अन्य बेटे को जारी किया गया था, जिसे प्रोसेस सर्वर द्वारा अपनी रिपोर्ट में मृत बताया गया था। अपीलार्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी सं. 2 व 3 की ओर से प्रोसेस स्वीकार की, जो उस समय नाबालिग थे। 3.6.1972 पर सुनवाई के लिए 20.4.1972 पर नोटिस दिया गया था। वकील द्वारा एक उपस्थिति दर्ज करायी गई थी जिसे मंजूर कर दिया गया और कार्यवाही को 5.8.1972 तक स्थगित कर दिया गया। उस पर 5.8.1972 को, फिर से

स्थगन की मांग की गई, जिसे भी मंजूर कर लिया गया और मामले को 12.8.1972 तक स्थगित कर दिया गया। 12.8.1972 पर भी, कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि विद्वान पीठासीन न्यायाधीश अवकाश पर थे और मामले को 16.9.1972 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 16.9.1972 पर, न्यायालय ने पाया कि तब तक किसी फैसले द्वारा देनदारी पर रोक नहीं है, डिक्री धारक को पांच दिनों के भीतर कुर्की करने के लिए व्यय दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसके जमा करने पर क्कीं के वारंट जारी किए जा सकते थे और कार्यवाही 21.9.1972 तक स्थगित की गई थी। कुर्की वारंट 21.9.1972 से पहले जारी नहीं किया गया था। यह पता चलने पर कि कुर्की के लिए खर्च दायर किया गया है, निष्पादन न्यायालय ने 21.9.1972 को संलग्नक वारंट जारी करने का आदेश दिया। क्कीं का वारंट जारी होने के बाद, अपीलार्थी द्वारा 21.9.1972 पर आपत्तियाँ दायर की गईं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया कि निष्पादन की कार्यवाही समय द्वारा वर्जित थे और जिस राशि के लिए निष्पादन की मांग की गई थी, वह भी सही ढंग से नहीं बताई गई थी। निष्पादन न्यायालय ने पाया कि नोटिस जारी करने की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने और यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि तामील के बावजूद कोई आपत्ति दायर नहीं की गई है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') के आदेश XXI नियम 22 और न्यायालय आदेश XXI नियम 23 और सी. पी. सी. की धारा 24, जिसके बाद कोई आपत्ति उठाई गई होके तहत संपत्ति को कुर्क करने के लिए निष्पादन के अगले चरण में आगे बढ़ा। रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा बाधित होने से विचार नहीं किया जा सकता है। दिनांकित आपत्तियों को खारिज करने के विरुद्ध 16.11.1972 दिनांक 13.7.1974 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी गई थी जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.1.1981 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि 16.11.1972 पर दायर

आपतियाँ, के बाद कुर्की का वारंट जारी किया गया था, निष्पादन न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह इन सिद्धांतों द्वारा वर्जित था, अपीलार्थी के वकील को भी टिकाऊ नहीं पाया गया और याचिका खारिज कर दी गई।

- 3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि कुर्की का वारंट जारी होने के बाद दायर की गई आपित को निष्पादन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि वह रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित थी।
- 4. खण्ड पीठ के समक्ष भी यही विवाद उठाया गया था, किंतु उसका परिणाम भी यही रहा।
- 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपना वही रुख दोहराया जो विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के समक्ष रखा गया था।
 - 6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।
- 7. आदेश XXI नियम 22 सीपीसी एक चरण के अंत में समाप्त होता है इससे पहले कि संपत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन को आगे बढ़ाने के लिए हो सकती है। आदेश XXI नियम के तहत कार्यवाही 23 इसे केवल तभी लिया जा सकता है जब निष्पादन न्यायालय को या तो पता चलता है कि नोटिस जारी करने के बाद, धारा XXI नियम 21 के तहत निर्णय-देनदार कोई आपित नहीं उठाई है या यदि ऐसी आपित उठाई गई है, निष्पादन न्यायालय द्वारा भी यही निर्णय लिया गया है। आदेश XXI नियम 22 के तहत उप नियम (1) के साथ-साथ उप नियम (2) एक ही समय और समान आधार पर संचालित होते है। उप नियम (1) तब कार्य करता है जब कोई आपित दर्ज नहीं की जाती है। फिर न्यायालय आगे बढ़ता है और स्पष्ट करता है कि कार्यवाही के अगले चरण में जाने का तरीका अर्थात् संपित की कुर्की और यदि न्यायालय को इस पर

आपत्तियाँ मिलती हैं रिकॉर्ड करें फिर यह पहली बार में आपत्तियों का फैसला करता है और इसके बाद यदि आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है तो संपत्ति की कुर्की के मामले को उठाने का रास्ता साफ कर देता है। क्या आदेश उप नियम (1) या उप नियम (2) के तहत किया जाता है, इसका प्रभाव संलग्नक प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रारंभिक चरण का निर्धारण करने का होता है। इस पृष्ठभूमि में, का क्रम यह निष्कर्ष निकालने पर कि कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, अदालत कुर्की के साथ आगे बढ़ेगी, यह भी तय करने वाले आदेश के रूप में काम करता है निष्पादन कार्यवाही और संचालन का प्रारंभिक चरण मानो निर्णय-देनदार को दाखिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसके बाद, फैसला-देनदार उसी में आपत्ति उठाना चाहता है आदेश XXI नियम 22 उप नियम (1) या (2) के तहत, उसे लेना होगा। अपील के माध्यम से आदेश से छटकारा पाने का सहारा लें। कोई विवाद नहीं है और यह उत्तेजित नहीं किया गया है कि आदेश डिक्री यानी यह कहना कि यह अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं है, बल्कि उस डिक्री के खिलाफ अपील है जो अंतिम आदेश के खिलाफ प्रदान की गई है। इसका अर्थ है कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित निष्पादन आदेशों के विभिन्न चरणों में अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है जब तक कि उन्हें उच्च मंच के समक्ष अपील के माध्यम से अलग कर दिया जाता है। अन्यथा वे निष्पादन कार्यवाही के बाद के चरण में पक्षों को बांधते हैं ताकि निष्पादन की सुचारू प्रगति हो सके। खतरे में नहीं पड़ा है और वह चरण जो आदेश XXI के विभिन्न आदेशों के अनुसार अंतिम रूप से पहुँच गया है, न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। कार्यवाही के बाद के चरण के लिए। आदेश के बाद से अलग-अलग स्तर पर पारित एक डिक्री के रूप में कार्य करता है और इस तरह से अपील योग्य है, इसे अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बाद के आदेशों के खिलाफ भी, क्योंकि आदेश XXI नियम 22 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील प्रारंभिक चरण में आदेश के खिलाफ अपील के बराबर नहीं है, बल्कि

एक डिक्री के बराबर है।अंत में प्रश्न का निर्धारण करें। यही कारण है कि आदेश XXI के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ कोई अपील आदेश के तहत प्रदान नहीं की गई है। 43. इस पृष्ठभूमि में, जहां एक निर्णय-ऋणी के पास एक आपित उठाने का अवसर होता है जिसे वह उठा सकता था लेकिन लेने में विफल रहे और प्रारंभिक चरण को आने दिया संलग्नक बरकत अली और ए.एन.आर. के लिए मामले को अगले चरण में ले जाने का अंत। आदेश XXI नियम 23 के तहत संपित और संपित की बिक्री जो उपरोक्त सिद्धांत के अंतर्गत आता है, उसके बाद निर्णय-देनदार बाद में ऐसी आपितयां नहीं उठा सकता है और कार्यवाही के पहले चरण पर वापस लौटें जब तक कि आदेश के पिरिणामस्वरूप प्रारंभिक चरण की समाप्ति न हो। एक डिक्री के खिलाफ अपील की जाती है और आदेश को दरिकनार कर दिया जाता है या संशोधित किया गया।

- 8. रेस प्रांग्न्याय के सिद्धांत न केवल संबंध में लागू होते हैं अलग कार्यवाही लेकिन सामान्य सिद्धांत भी लागू होते हैं उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी और उसी न्यायालय को उस प्रश्न में फिर से जाने से रोका गया है जो उस पर निर्णय लिया गया है या माना गया है कि प्रारंभिक अवस्था।
- 9. अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार और अन्य (ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993) में यह देखा गया थाः

"प्रांग्न्याय के सिद्धांत का दायरा धारा 11 में निहित बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिक विस्तृत है। यह एक ही मुकदमे के विभिन्न चरणों के लिए उतनी ही लागू हो सकता है जितनी कि विभिन्न मुकदमों में मुद्दों पर निष्कर्षों के लिए। एक ही मुकदमे में कार्यवाही के विभिन्न चरणों, कार्यवाही की प्रकृति, जांच के दायरे के मामले में न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। साथ ही मामलों पर किए गए विशिष्ट प्रावधान इस तरह के

निर्णय को लागू करने से पहले कुछ सामग्री और प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।"

10. सत्यधन घोषाल और अन्य बनाम श्रीमती देवराजिन देबी और अन्य. (ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 941) में यह देखा गया थाः

"प्रांग्न्याय का सिद्धांत एक ही मुकदमे की दो स्टेज पर भी इस सीमा तक लागू होता है कि एक अदालत, चाहे वह विचारण न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, पहले चरण में तय की गई विषय वस्तु को, जो पहले एक प्रकार से तय हो चुकी है, उसी कार्यवाही के अगले किसी चरण पर पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगा।"

11. उपर्युक्त परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय विशेष अपील को खारिज करने और एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने में सही था।अपील योग्यता के बिना है, अतः इसे खारिज करने का निर्देश दिया जाता है।

बी. बी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नमो नारायण मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।